



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072026-274936
CG-DL-E-29072026-274936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4021]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2026/श्रावण 7, 1948

No. 4021]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/SHRAVAN 7, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

का.आ. 4191(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), एतद्वारा “केरल रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण” (पैन: AAAGK1025N), जो कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 (2016 का 16), की धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत केरल सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण है, उक्त प्राधिकरण को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, निम्नानुसार है:

(क) परियोजनाओं/ अभिकर्ताओं/ भूखंडों के पंजीकरण के लिए एकत्र की गई शुल्क।

(ख) मुआवजा और शिकायत दर्ज करने हेतु प्राप्त शुल्क; तथा

(ग) सरकारी अनुदान।

2. यह अधिसूचना इस शर्तों के अधीन लागू होगी कि केरल रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (पैन: AAAGK1025N),—

(क) किसी भी व्यावसायिक कार्यकलाप में संलिप्त नहीं होगी;

(ख) उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 263 की धारा (9), उप-के खंड (ग)(xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी; तथा

(ग) इसके कार्यकलाप और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे कर वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी।

3. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के तहत छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 102/2026/फा. सं. 300196/88/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2026

S.O. 4191(E).— In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, “Kerala Real Estate Regulatory Authority” (PAN: AAAGK1025N), an Authority constituted by Government of Kerala under sub-section (1) of Section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), in respect of the following specified income arising to the said authority namely:—

(a) fees collected for registration of projects / agents / plot.

(b) fees for filing compensation and complaint; and

(c) government grants.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that ‘Kerala Real Estate Regulatory Authority’ (PAN: AAAGK1025N),—

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) shall file return of income in accordance with the provision of clause (c)(xiii) of sub-section (9) of section 263 of the said Act; and

(c) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the tax years.

3. Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.

4. This notification shall be applicable for the tax year 2026-27.

[Notification No. 102/2026/F. No. 300196/88/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.